


न्यायालय श्रीमान राजस्व गण्डव गजानिर रोम्स भोपाल म०२०



प्र०१० 4867 नीकी आर/निरानी / 2017

खारिज दिनांक 26.12.2017

गोविंद विता विरजा नाई ----- आवेदक

बनाम

PBR/पुनःस्थापना/लेशंगमाद/श्रमा/२०१८/०१०६१

गंगाबिसन व अन्य ----- आवेदकगण

आवेदन मंत्र अंतर्गत धारा 35(3) म.प्र. भू.राजस्व संहिता

आवेदकगण की ओर से निवेदन है :-

1. यह कि , आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी सिवनीमालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.9.17 एवं 4.10.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयीं ।

163

N.F
27/2
5/1

जवाब में आवेदक
श 30-1-18 वा
उत्तर दिनांक
२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/री-रीक्षण/भूरा/18/रीक्षण/1061

गोविंद विरुद्ध गे.गो.वि.सं.

तहसील जिला एश.रा.वा.प.

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक. तहसील का प्रकरण क्रमांक.

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला राजस्थान मंडल</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक 26-12-17</p> <p>के विरुद्ध श्री सलीप डूबे अभिभावक</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/.....</p> <p>..... रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/पुनरीक्षण/पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p>	<p>मो.गो.वि.सं.</p> <p>27-2</p>
27-2-2018 Rustal	<p>प्रस्तुतकार</p> <p>डा.वे.ड.क. (राजस्थान) श्री सलीप डूबे (प.०)</p> <p>उन्होंने रेस्टोरेशन आवेदन पर पुनरावलोकन किया गया। विचारोपरान्त रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है।</p> <p>क्र. PBR/निग/री.री.सं./भूरा/17/4368 पुनः नम्बर</p> <p>पर लिखा जाता है। इस प्रकार के कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p>मो.गो.वि.सं.</p>

[पीछे देखिये]

मध्यप्रदेश